




राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन- 2705483

फैक्स- 2701822

क्रमांक-एफ-14 ()/डाइस/रास्कूशिप/जय/2018-19/ 2436

दिनांक-13/11/18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- नवीन विद्यालयों को यू-डाइस कोड में छूट प्रदान करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा 5वीं एवं 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भरे जाने है जिसके लिए यू-डाइस कोड अनिवार्य है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यू-डाइस 2018-19 के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए है जिसके कारण राज्य में यू-डाइस का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। यू-डाइस का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण नवीन विद्यालयों को यू-डाइस कोड दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऐसे निजी विद्यालय जिनको नवीन मान्यता प्राप्त हुई है उनको यू-डाइस कोड में छूट प्रदान करते हुए मान्यता कमांक के आधार पर 5वीं एवं 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भरवाने का श्रम करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. रक्षित पत्रावली।